

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ (चूरु)

पीठासीन अधिकारी: श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 79/2018

जीसीएमएस संख्या: 2018/00280

निर्णय दिनांक: 17.07.2025

1. गणेशाराम पुत्र स्व० चन्द्राराम उम्र 62 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)

.....वादी

बनाम

1. स्व० हरिराम पुत्र स्व० चन्द्राराम जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु हाल निवासी आदर्श स्कूल के पास महाराजा सुरजमल आवासीय योजना फ़ैज नंबर 1 वीर तेजा कॉलोनी नवलगढ रोड सीकर (राजस्थान)
- 1/1 श्रीमती मोहनीदेवी धर्मपत्नी स्व० हरिराम उम्र 72 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु हाल निवासी आदर्श स्कूल के पास महाराजा सुरजमल आवासीय योजना फ़ैज नंबर 1 वीर तेजा कॉलोनी नवलगढ रोड, सीकर (राजस्थान)
- 1/2 स्वर्गीय भंवरलाल पुत्र स्व० हरिराम उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
- 1/2/1 श्रीमती सुप्यारदेवी धर्मपत्नी स्व० भंवरलाल उम्र 53 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान) हाल आबाद 143/1, 1st main, 1st cross Nayanda halli, ITI layout Bangalore south, Bengaluru Karnataka
- 1/2/2 राकेश सारण पुत्र स्व० भंवरलाल उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान) हाल आबाद 143/1, 1st main, 1st cross Nayanda halli, ITI layout Bangalore south] Bengaluru Karnataka
- 1/2/3 श्रीमती ममता पुत्री स्व० भंवरलाल धर्मपत्नी श्री कपिलदेव मील उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी किसान कॉलोनी, नवलगढ रोड, सीकर (राजस्थान) हाल आबाद 143/1, 1st main, 1st cross Nayanda halli, ITI layout Bangalore south, Bengaluru Karnataka
- 1/3 अमरचन्द्र पुत्र स्व० हरिराम उम्र 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु हाल निवासी आदर्श स्कूल के पास महाराजा सुरजमल आवासीय योजना फ़ैज नंबर 1 वीर तेजा कॉलोनी नवलगढ रोड, सीकर (राजस्थान)
- 1/4 श्रीमती शान्ति पुत्री स्व० हरिराम धर्मपत्नी स्व० ज्ञानप्रकाश उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम राजियासर मीठा तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
- 1/5 श्रीमती मंजू देवी पुत्री स्व० हरिराम धर्मपत्नी इन्द्रचन्द्र कीलका उम्र 48 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
- 1/6 श्रीमती ललिता पुत्री स्व० हरिराम धर्मपत्नी भगतसिंह पिलानिया उम्र 45 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम सूटोट तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राजस्थान)
2. ताराचन्द्र पुत्र स्व० चन्द्राराम उम्र 56 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु हाल निवासी इन्द्रगिरी आश्रम के आगे साण्ड शाला के पास वार्ड नंबर 3 कस्बा सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

3. श्रीमती मनोहरीदेवी धर्मपत्नी स्व० सुगनचन्द उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम खुड़ी हाल निवासी इन्द्रगिरी आश्रम के आगे साण्ड शाला के पास वार्ड नंबर 3 कस्बा सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
4. राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० सुगनचन्द उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी हाल निवासी इन्द्रगिरी आश्रम के आगे साण्ड शाला के पास वार्ड नंबर 3 कस्बा सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
5. ओमप्रकाश पुत्र स्व० सुगनचंद उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम खुड़ी हाल निवासी इन्द्रगिरी आश्रम के आगे सांड शाला के पास वार्ड नंबर 3 कस्बा सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
6. सुमनदेवी पुत्री स्व० सुगनचन्द धर्मपत्नी श्री सन्दीप उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम खुड़ी हाल निवासी नया बास क्लब के पास, कस्बा सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
7. सिणगारी पुत्री स्व० चन्द्राराम धर्मपत्नी पदमाराम उम्र 58 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम खुड़ी हाल निवासीनी जेठवां का बास तहसील फतेहपुर जिला सीकर (राजस्थान)
8. सन्तोष पुत्री स्व० चन्द्राराम धर्मपत्नी श्री ओमप्रकाश उम्र 53 वर्ष जाति जाट (खिलेरी) निवासीनी ग्राम खुड़ी हाल निवासीनी ग्राम मलसीसर तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
9. ननू पुत्री स्व० चन्द्राराम धर्मपत्नी श्री मानाराम उम्र 68 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम खुड़ी हाल निवासीनी ग्राम भावनदेसर तहसील रतनगढ जिला चूरु (राजस्थान)
10. उप पंजीयक अधिकारी, सालासर तहसील सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, सुजानगढ जिला चूरु (राजस्थान)

.....प्रतिवादीगण

—:निर्णय:—

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 9 के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग के खेत ख०न० 83 तादादी 02 बीघा 10 बिस्वा, ख०नं 145 तादादी 14 बीघा 03 बिस्वा, ख०नं 161 तादादी 30 बीघा, ख०नं 162 तादादी 05 बीघा 03 बिस्वा, ख०नं 238 तादादी 01 बीघा 13 बिस्वा, ख०नं 576 तादादी 15 बीघा 08 बिस्वा वाके रोही खुड़ी तहसील सुजानगढ जिला चूरु में स्थित हैं। जिन्हे वाद में आगे वादगत खेतों से सम्बोधन किया गया हैं।

दावा जिसके विभाजन हेतु वादी ने यह वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है। जो न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर प्रारम्भिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ को वादी के हिस्सा, कब्जा व मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया था जिस पर तहसीलदार सुजानगढ ने विभाजन प्रस्तुत कर न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं।

बहस बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं होना स्वीकार किया। वादी अधिवक्ता द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी अन्तिम रूप से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध वर्तमान जमाबन्दी तथा विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ

गया। बहस पर मनन किया गया। वादगत भूमि खेत ख०न० 83 तादादी 02 बीघा 10 बिस्वा, ख०नं 145 तादादी 14 बीघा 03 बिस्वा, ख०नं 161 तादादी 30 बीघा, ख०नं 162 तादादी 05 बीघा 03 बिस्वा, ख०नं 238 तादादी 01 बीघा 13 बिस्वा, ख०नं 576 तादादी 15 बीघा 08 बिस्वा वाके रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में उतने ही हिस्सा पांति के रिकॉर्डेड खातेदार दर्ज स्थित है।

एक रिकॉर्डेड खातेदार कृषक अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीनी विभाजन की हद तक अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझता है।

—:आदेश:—

दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत ख०न० 83 तादादी 02 बीघा 10 बिस्वा, ख०नं 145 तादादी 14 बीघा 03 बिस्वा, ख०नं 161 तादादी 30 बीघा, ख०नं 162 तादादी 05 बीघा 03 बिस्वा, ख०नं 238 तादादी 01 बीघा 13 बिस्वा, ख०नं 576 तादादी 15 बीघा 08 बिस्वा वाके रोही ग्राम खुड़ी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में वादी का 15/56 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान का 1/7 व प्रतिवादी संख्या 02 का 15/56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 09/56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 ता 7 का 3/28 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 07 ता 09 का 3/56 हिस्सा है। राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना-अपना स्वयं वहन करें। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षरित एवं मुद्राकित किया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमेंइब्दाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जब्ता दावानो)

(Civil Procedure code, Appendix 'D' -1)

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सुजानगढ़
वइजलास श्री ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस

गणेशाराम बनाम हरीराम आदि
राजस्व वाद संयुक्त खातेदारी विभाजन

मुकदमा न0 79 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रु-ब-रु हाजरी श्री डुंगरसिंह अधिवक्ता, मिनजानिब मुद्ई व पैरोकार राज मिनजानिबमुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत ख0न0 83 तादादी 02 बीघा 10 बिस्वा, ख0नं 145 तादादी 14 बीघा 03 बिस्वा, ख0नं 161 तादादी 30 बीघा, ख0नं 162 तादादी 05 बीघा 03 बिस्वा, ख0न0 238 तादादी 01 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 576 तादादी 15 बीघा 08 बिस्वा वाके रोही ग्राम खुडी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में वादी का 15/56 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 के वारिसान का 1/7 व प्रतिवादी संख्या 02 का 15/56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 का 09/56 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 ता 7 का 3/28 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 07 ता 09 का 3/56 हिस्सा है। राजस्व रिकॉर्ड में मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पृथक् से अंकन कर लगान कायम कर एक्स में तरमीम करें। विभाजन प्रस्ताव तथा नक्शा आदेश का ही भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा पक्षकारान् अपना-अपना स्वयं वहन करें।

चीज.....मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख व सूलमाबी तक
को अदा करे।



मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 17 माह 07 2025

दस्तखत
ओहदा उप खण्ड अधिकारी
मुकाम सुजानगढ़

मुद्ई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्पअर्जी दावा			स्टाम्पबकालतनामा		
स्टाम्पवकालतनामा			स्टाम्पअर्जी		
स्टाम्पवजहसबूत			महनतानावकीलपर		
महनतानावकील			खर्चागवाहान		
खर्चागवाहान			फीसकमिश्नर		
फीसकमिश्नर			बाबतइजराय		
बाबतइजराय हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्जकरना चाहिये।